UPBG010012692026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं०–1, बागपत।

उपस्थितः नीरू शर्मा, एच.जे.एस.

जे०ओ०कोड–यू०पी० 2718

कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या –454/2026

1. फुरकान अली पुत्र यासीन निवासी कस्बा रटौल, थाना खेकडा, जिला बागपत।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य ...अभियोजक।

मु.अ.सं.–203/2025
धारा–305(A), 331(4), 317(2)
बी०एन०एस०
व 3/25 आयुध अधिनियम
थाना- चांदीनगर,
जिला–बागपत।

दिनांकः 06–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त फुरकान अली की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शाहनाज पत्नी यासीन का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्त का यह **प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र** है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को झूँठा फॅसाया गया है। वह निर्दोष है। उसने उक्त अपराध नहीं किया है। उसने किसी भी व्यक्ति के मकान में चोरी नहीं की है। उससे दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह दिनांक 09–12–2025 से जिला कारागार बागपत में निरूद्ध है। जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रोहित यादव द्वारा थाना चांदीनगर पर दिनांक 07–12–2025 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि आज दिनांक 07–12–2025 को रात करीब 01:45 बजे तीन अज्ञात चोरों ने मेरे मकान का ताला तोडकर कमरे में रखी अलमीरा का ताला तोडकर उसमें रखे

Digitally signed by NEERU SHARMA
Date: 2026.03.09 10:09:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सोने व चांदी के जेवर भारी मात्रा में जिसका भार लगभग 180 ग्राम था व एक लाख रूपये नगद चोरी कर लिये। पास वाले कमरे में छोटा भाई प्रियांशु व मेरे पिता सूरजपाल व माता विमलेश सोये हुए थे। चोरों ने आकर कमरे की लाईट जलाई तो मेरे घर वालो की नींद खुल गयी। चिल्लाने पर वह तीनो चोर भाग खडे हुए। हम लोगों ने पीछा किया तो हाथ नहीं आये। इसके बाद मेरे द्वारा 112 नम्बर पर कॉल की गयी। अज्ञात चोर उपरोक्त जेवर व नगद रूपये चोरी कर ले गये। चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज् कर मेरे सामान की बरामदगी कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त तथा सहअभियुक्तगण के कब्जे से चार अदद बण्डल अभियुक्तवार अलग–अलग महमूला आभूषण पीली धातु वजन करीब 73.180 ग्राम व सफेद धातु वजन करीब 343.590 ग्राम, कुल कीमत 1240000 लाख रूपये व तीन अदद बण्डल अभियुक्त वार महमूला एक बण्डल में अदद तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस व दूसरे बण्डल में एक कारतूस 315 बोर व तीसरे बण्डल में एक अदद चाकू बरामद होना दर्शाया गया है। अभियुक्त तथा सहअभियुक्तगण के कब्जे से बरामद उपरोक्त सामान की वादी मुकदमा द्वारा शिनाख्त की गयी है। अभियुक्त पर आरोपित आरोप 14 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः इस स्तर पर मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त की और से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(नीरू शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं०–01,
बागपत।